Factual and action taken report in the matter of Hemraj Meena V/s Union of India&Ors. (OA No. 153/2023) as per the directions of Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal

Background

In the case filed by Sh. Hemraj Meena V/s Union of India &Ors. before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, the applicant Sh. Hemraj Meena has raised the issue that there is an illegal construction of a Hotel upon Khasra No. 134 and 135 of village Nahargarh and both these Khasras are integral parts of Nahargarh Wildlife Sanctuary. The activities violate guidelines issued by the Central Government qua Wildlife Clearance from the National Board and also violative of notification of Eco-Sensitive Zone. The Assistant Conservator of Forest prepared a detailed note, which showed that the illegal construction was done within the boundaries of the Nahargarh Wildlife Sanctuary without any authority from the Forest Department and Wildlife Board and without permission from the Rajasthan State Pollution Control Board and there was violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

Order

Hon'ble NGT Central Zone Bench passed an order dated 18.10.2023which inter-alia says as under: -

> *"6. We further constitute a committee consisting of: -i. One representative from the Additional Chief Secretary, Forest & Wildlife, Govt. of Rajasthan, Rajasthan ii. One representative from Collector, Jaipur, Rajasthan. iii. One representative from the Central Pollution Control Board, Rajasthan. iv. One representative from Rajasthan State Pollution Control Board.*
>
> *7. The Committee is directed to visit the place, examine the facts, take remedial measures, and submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."*

Field Visit

Office order issued by RSPCB on 11.12.2023 (Copy enclosed **Annexure-1**) for the field visit. The following persons conducted the field visit on 13.12.2023 in connection with this case:

(i) Sh. Sangram Singh Katiyar, Deputy Conservator of Forests, Wild Life (Zoo), Jaipur.

(ii) Dr. Sarita Sharma, SDM Amer, Distt. Jaipur.

(iii) Sh. Praveen Kumar Jain, Scientist-B, Regional Directorate (Central), CPCB, Bhopal

(iv) Sh. Vijay Sharma, Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North).

Observations

During the field visit and on perusal of records, it was observed that: -

(i) A building was found under construction on the site. (Photographs enclosed **Annexure-2**)

(ii) Representative of the Forest Department informed that the project is located within the sanctuary area as per the gazette notification of Nahargarh Wildlife Sanctuary published vide Gazette Notification of 22.09.1980. In this case, the distance from the Forest department was not taken before the start of the project.

(iii) Representative of the project proponent was tried to contact during the visit, but could not be contacted. After that unit's representative vide letter dated 21.12.2023 provided documents about the project which are as under.

a. Lease deed for the land from Jaipur Development Authority (JDA) registered on 27.12.2011 (copy enclosed, **Annexure-3**)

b. Approval of building plan for Hotel Project by JDA issued vide letter dated 05.03.2014 (Copy enclosed **Annexure-4**) and validity period of the same approval further extended vide letter dated 02.02.2021 (copy enclosed, **Annexure-5**) and vide letter dated 02.06.2023 (copy enclosed, **Annexure-6**) which is valid till Dec 2025.

c. Superimposed map showing the location of the project site outside the NWL Sanctuary and within the ESZ of the sanctuary. (**Annexure-7**) but this map is not authenticated by any authority.

(iv) As per the representative of RSPCB, unit failed to obtain prior consent to establish from the State Pollution Control Board, therefore, a show cause notice has been issued on 21.12.2023. (Copy enclosed, **Annexure-8**). Subsequently, unit has initiated the on-line application for consent to establish under the provisions of the Air Act and the Water Act and same is to be decided on merits.

Conclusion

(i) This project is being constructed after obtaining permission from the Jaipur Development Authority, Jaipur which is valid up to Dec 2025.

(ii) The distance of the project from the Nahargarh Wildlife Sanctuary was also not taken from the forest department and the said area may fall inside the Nahargarh Wildlife Sanctuary as per the notification dated 22.09.1980 (copy of the notification enclosed at **Annexure-9**) since the boundary of the Nahargarh Wild Life Sanctuary is not certain on ground. Therefore, require further deliberation from the Revenue, Forest and JDA/Nagar Nigam to establish whether the area to be considered within the sanctuary or in the ESZ.

Recommendation

(i) A joint survey committee of Revenue, Forest and JDA/Nagar Nigam be constituted as the boundary of the Nahargarh Wildlife Sanctuary is not certain on the ground and the land in question falls within Nahargarh Wildlife Sanctuary or Eco-sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary is yet to be decided.

Enclosures

(i) Office order dated 11.12.2023 for field visit issued from RSPCB (**Annexure-1**).

(ii) Photographs of the site (**Annexure-2**).

(iii) Copy of Lease deed (**Annexure-3**).

(iv) Hotel project building plan approval dated 05.03.2014 from JDA (**Annexure-4**).

(v) Validity extension dated 02.02.2021 of approved building plan (**Annexure-5**).

(vi) Validity extension dated 02.06.2023 of approved building plan (**Annexure-6**).

(vii) Superimposed map showing the location of the project (**Annexure-7**)

(viii) Show cause notice dated 21.12.2023 issued from RSPCB (**Annexure-8**).

(ix) Nahargarh Wild Life Sanctuary Notification dated 22.09.1980 (**Annexure-9**).

Vijay Sharma	Praveen Kumar Jain	Dr. Sarita Sharma	Sangram Singh Katiyar
Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North)	Scientist-B, Regional Directorate (Central), CPCB, Bhopal.	SDM, Amer, Distt. Jaipur	Deputy Conservator of Forests, Wild Life (Zoo), Jaipur

Annexure-1

REGIONAL OFFICE (NORTH)
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
OPP. ROAD NO.5, VKIA, SIKAR ROAD, JAIPUR
PHONE: 0141-2850100,
E-MAIL : RORPCB.JAIPUR@GMAIL.COM

Office Order

F.No.RPCB/ROJP/N/Legal-182/ 1040 – 1043 Date: 11/12/2023

The Hon'ble National Green Tribunal in OA no. 153/2023, Hemraj Meena V/s Union of India & Ors. has passed an order dated 18/10/2023 for constitution of a joint committee. Accordingly, nominations have been received from Central Pollution Control Board, Distt. Administration and Department of Environment and Climate Change, Govt. of Rajasthan. Following members of the joint committee are requested to join for field visit of the area scheduled on 13/12/2023:-

1. Sh. Praveen Jain, Scientist B, Regional Directorate (Central Zone), CPCB, Bhopal
2. Smt. Alka Bishnoi, ADM Jaipur City (North), Jaipur
3. Sh. Sangram Singh Katiyar, DCF, Wildlife (Chidiyaghar), Jaipur

The representatives are requested to make it convenient to reach RSPCB, Regional Office Jaipur (North), Opposite Road No.5, VKIA, Sikar Road, Jaipur at 10:30 AM along with available information and records in this regard.

(Vijay Sharma)
Regional Officer
dc

Copy to following for information:

1. P.A. to Member Secretary, RSPCB, Jaipur
2. Sh. Praveen Jain, Scientist B, Regional Directorate (Central Zone), CPCB, Bhopal
3. Smt. Alka Bishnoi, ADM Jaipur City (North), Jaipur
4. Sh. Sangram Singh Katiyar, DCF, Wildlife (Chidiyaghar), Jaipur

Regional Officer
dc

Annexure-2

Annexure-3

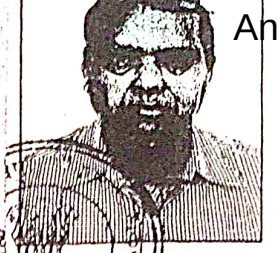

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबंदी के आधार पर होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनों के लिए भूमि एकल [illegible]

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ख के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू-उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 23.12.2011 को आवंटित/विकय-पत्र संख्या [illegible] राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर श्री नवरतन लाल अग्रवाल व अन्य, निवासी-एस-13-ए, महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (जिनकों इसके पश्चात पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इमारत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगें) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह समस्त पुर्नगठित वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या 1 से 8, 17 व 18, कुल क्षेत्रफल 5999.90 वर्ग गज, धीर बिहार (वाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति) जो ग्राम आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है। और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिस पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धो, वैद्य शर्तो और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रहेगा, अर्थातः-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।
2. पटेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर रूपान्तरण दर (नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 24.12.07 के अनुसार होटल एवं पर्यटन इकाईयों को 31.03.2013 तक रूपान्तरण राशि से मुक्त रखा गया है। प्रकरण में एकमुश्त लीज राशि प्रार्थी द्वारा चालान संख्या 180927 दिनांक 09.12.11 के द्वारा रूपये 6278328/- जमा करायी जा चुकी है।
3. उक्त भूखण्ड का उपयोग होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजन हेतु किया जावेगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा व 2001 के भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 कमांक पं.(3)नं.वि.वि/3/99 भवन विनिमयों के प्रावधानों में प्रदत शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनिमयों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोडने होंगें ।
4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा ।
5. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिए जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तो एवं दी राज. इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड, 1974 के) अन्तर्गत स्थापित शर्तो की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी शर्त या शर्तो का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।
6. अन्य सदस्यों की सूची संलग्न है।

उप पंजीयक, आवास

जयपुर

नोट:- इस भूखण्ड का पंजीयन मूल्य निर्धारित नही है। पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत स्टाम्प नं. 8279 - 8280 स्टाम्प रूपये 3,01,100 +10 संख्या ...2..... बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर करने दिये है।

राजस्थान सरकार की ओर से :-

आज सन् 2011 के दिसम्बर 27 वें दिन मंगलवार श्री गिरीश पाराशर, आर.ए.एस. उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन- 02, जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये -

उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम : के० के० गुप्ता
   पिता का नाम श्री नारायण दास गुप्ता
   व्यवसाय : प्राधिकरण सेवा
   निवास स्थान : जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम : राजेन्द्र राजोरिया
   पिता का नाम : श्री रघुनाथ शर्मा
   व्यवसाय : प्राधिकरण सेवा
   निवास स्थान : जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज सन् 2011 के दिसम्बर 27 वें दिन मंगलवार निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री नवरतन लाल अग्रवाल लीजधारक द्वारा कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये :-

खरीददार / खातेदार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम : दिनेश चन्द्र शर्मा
   पिता का नाम : श्री बद्रीप्रसाद शर्मा
   व्यवसाय : नौकारी
   निवास स्थान : 141, अवधपुरी-2, महेश नगर, जयपुर।

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम : गिर्राज प्रसाद गुप्ता
   पिता का नाम : श्री रामस्वरूप जी गुप्ता
   व्यवसाय : नौकारी
   निवास स्थान : 3, धवाई जी का बाग, सुपर बाजार, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।

साक्षी के हस्ताक्षर

209 (6)

SITE PLAN OF PLOT No. COMMERCIAL PLOTS 1 TO 8 AND 17,18 (JAIPUR VALMIKI G.H.S.S.)

SCHEME DEER VIHAR

AREA 5999.90 SQ.YDS.

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BY LAWS

1" = 100 Ft.

SCALE :- ~~1CM = 5 MTR~~

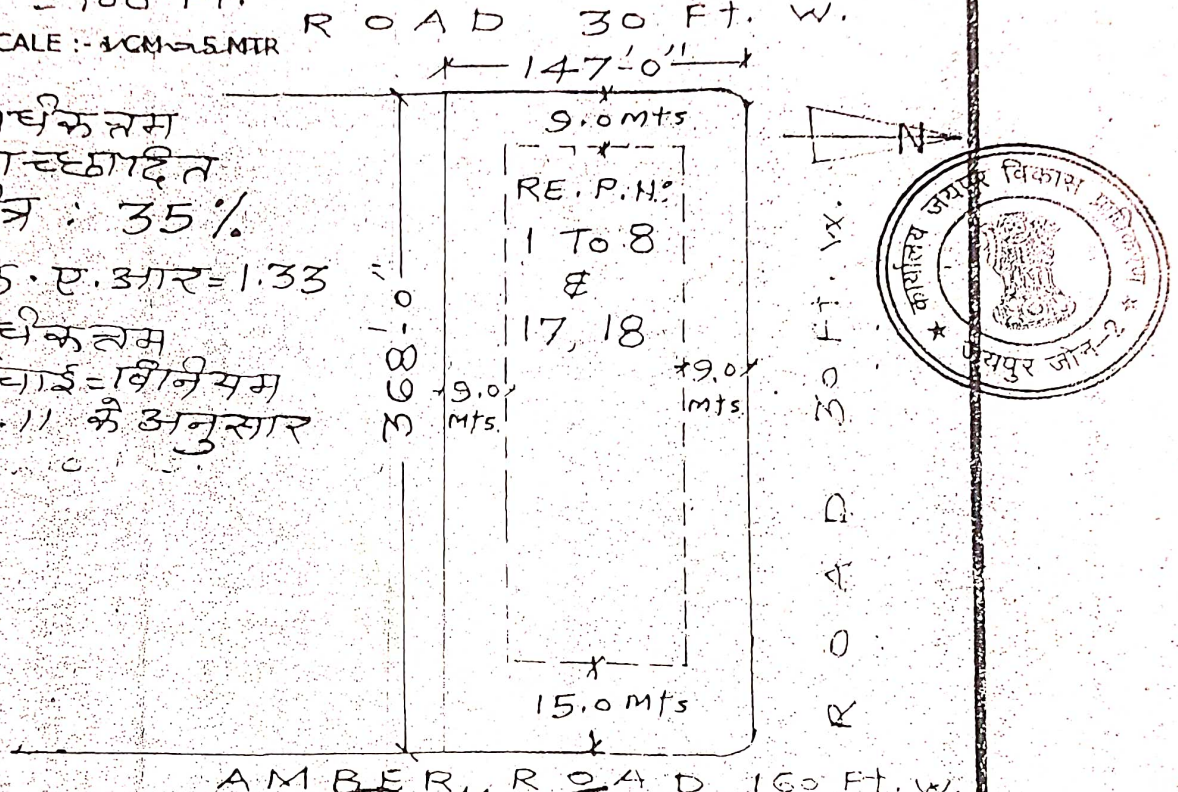

आधिकतम आच्छादित क्षेत्र : 35%

एफ.ए.आर = 1.33

आधिकतम ऊचाई = बिनियम 8.11 के अनुसार

SITE ENGINEER

APP/DTP

DY. COMMISSIONER
उपायुक्त जोन-1
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

आज दिनांक 20/4/2012 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 466
में पृष्ठ संख्या 85 क्रम संख्या 2012064001882पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1368
के पृष्ठ संख्या 273 से 282
पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक/ADDL.REGISTRAR

(2012064002459)
Lease deed for local bodies (Patta)

(7)

सूची

जारी लीजडीड क्रमांक 3492 दिनांक 27.12.11 के बिन्दु संख्या 6 में उल्लेखित सदस्यों की सूची निम्न प्रकार है :—

1. किशनलाल अग्रवाल स्व0 श्री स्वरूपनारायण जी अग्रवाल
2. नवरतन लाल अग्रवाल स्व0 श्री स्वरूपनारायण जी अग्रवाल
3. मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री किशनलाल अग्रवाल
4. मनोज अग्रवाल पुत्र श्री नवरतल लाल अग्रवाल
5. श्रीमती प्रीती अग्रवाल पत्नी श्री मनोज अग्रवाल

उपायुक्त (भू.न.)-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Annexure-4

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी./2014/डी-383 दिनांक- 05/3/2014

श्री नवरतन लाल अग्रवाल,
एस-13 ए, महावीर मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर।

विषय :- भूखण्ड संख्या 1 से 8, 17 व 18, धीर विहार, ग्राम-आमेर, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर के प्रस्तावित होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2012 के संदर्भ में जो प्रस्ताव भूखण्ड संख्या 1 से 8, 17 व 18, धीर विहार, ग्राम-आमेर, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर के प्रस्तावित होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) में दिनांक 11.07.2012 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह जुलाई-2019 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
6. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
7. दरवाजें एवं खिडकियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
8. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत व्यावसायिक (होटल) ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
9. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
10. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।

11. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
12. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें।
13. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
14. आवेदक द्वारा जारी किये जा रहे अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार बेसमेन्ट/स्टिल्ट के पार्किंग क्षेत्र को अन्डरटेकिंग/समर्पणनामें अनुसार भवन निर्मित होन पर जविप्रा के पक्ष में समर्पित किया जाना होगा एवं जिसका कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा विधिवत प्राप्त किया जावेगा।
15. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।
16. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में आप द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
17. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण एवं उपलब्ध पार्किंग की सूचना जविप्रा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।
19. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
20. पर्यावरण प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुपालना आप द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।

भवदीय

05/3/14

(नीरज तिवाड़ी)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपायुक्त, जोन–02, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक जोन–02, जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ भेजकर लेख है कि कृपया अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति उपायुक्त जोन से प्राप्त करें।
4. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/सर्वेयर, बीपीसी–द्वितीय, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन जनपथ, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर।

(नीरज तिवाड़ी)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Annexure-5

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2021/डी-181 से डी-183तक दिनांकः- 02/2/2021

श्री नवरतन लाल अग्रवाल,
एस–13 ए, महावीर मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर।

विषयः– भूखण्ड संख्या 1 से 8, 17 व 18, धीर विहार, ग्राम–आमेर, तहसील–आमेर, जिला– जयपुर के प्रस्तावित होटल की भवन निर्माण अवधि बढ़ायें जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके निवेदन दिनांक 27.11.2020 के क्रम में प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 232वीं बैठक दिनांक 11.12.2020 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार उक्त भूखण्ड़ की भवन निर्माण अवधि जुलाई–2019 से 2 वर्ष अर्थात जुलाई–2021 तक बढ़ाई जाती हैं। शेष शर्ते पूर्व. में दिनांक 05.03.2014 को जारी भवन निर्माण अनुज्ञा अनुसार ही रहेगी।

भवदीय,

(ओमप्रकाश पारीक)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपायुक्त, जोन–02, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(ओमप्रकाश पारीक)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशनः {5153}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {O.P.PAREEK@RAJASTHAN.GOV.IN}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./ब.पी.सी.(बीपी)/2023/डी-695 दिनांकः- 02/6/2023

श्री नवरतन लाल अग्रवाल,
एस-13 ए, महावीर मार्ग,
सी-स्कीम, जयपुर।

विषयः- भूखण्ड संख्या 1 से 8, 17 व 18, धीर विहार, ग्राम-आमेर, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर के प्रस्तावित होटल की भवन अनुज्ञा अवधि बढ़ायें जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 271वीं बैठक दिनांक 21.04.2023 में लिये गये निर्णयानुसार एवं आपके आवेदन अनुसार भवन अनुज्ञा अवधि माह दिसम्बर-2025 तक बढ़ाई जाती हैं।

शेष शर्तें पूर्व में दिनांक 05.03.2014 को जारी भवन निर्माण स्वीकृति अनुसार ही रहेगी। सूचनार्थ प्रेषित हैं।

भवदीय,

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपायुक्त, जोन-02, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Annexure-7

MAP SHOWING PROPOSE LAND LOCATION ON GOOGLE MAP

UNDER KHASRA NO - 134,135

AT REVENUE VILLAGE - NAHARGARH, TEH.- AMER , JAIPUR

NOT TO SCALE

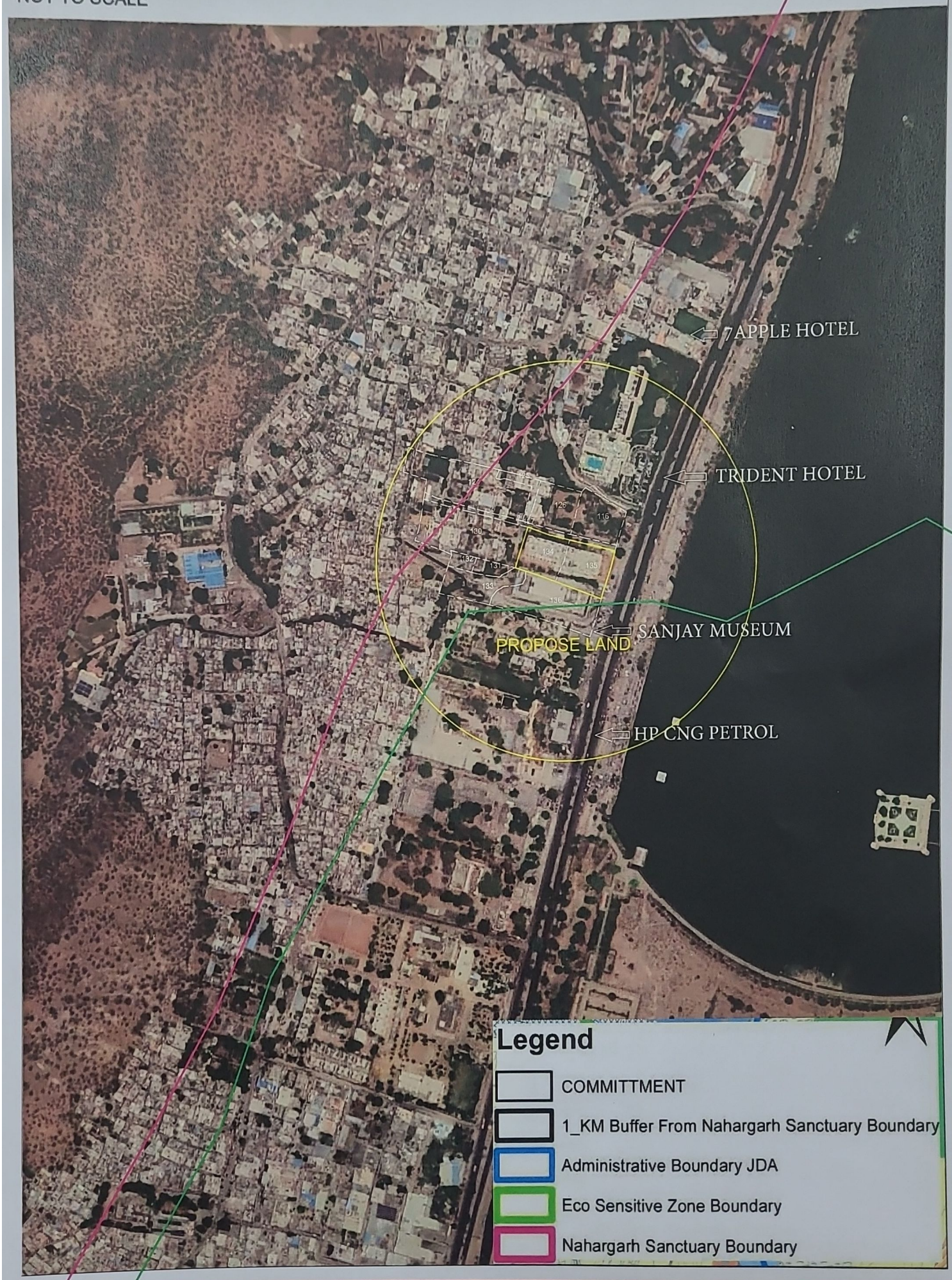

DGPS SURVEY REPORT

Commercial Plot No-1To 8 & 17,18 DEER VIHAR JAIPUR. (RAJ.)

GCP NO. :- GPS-5 PROJECTION:- WGS-1984 (UTM-43)

(KH. NOS.-134,135 AT VILLAGE NAHARGARH, JAIPUR.)

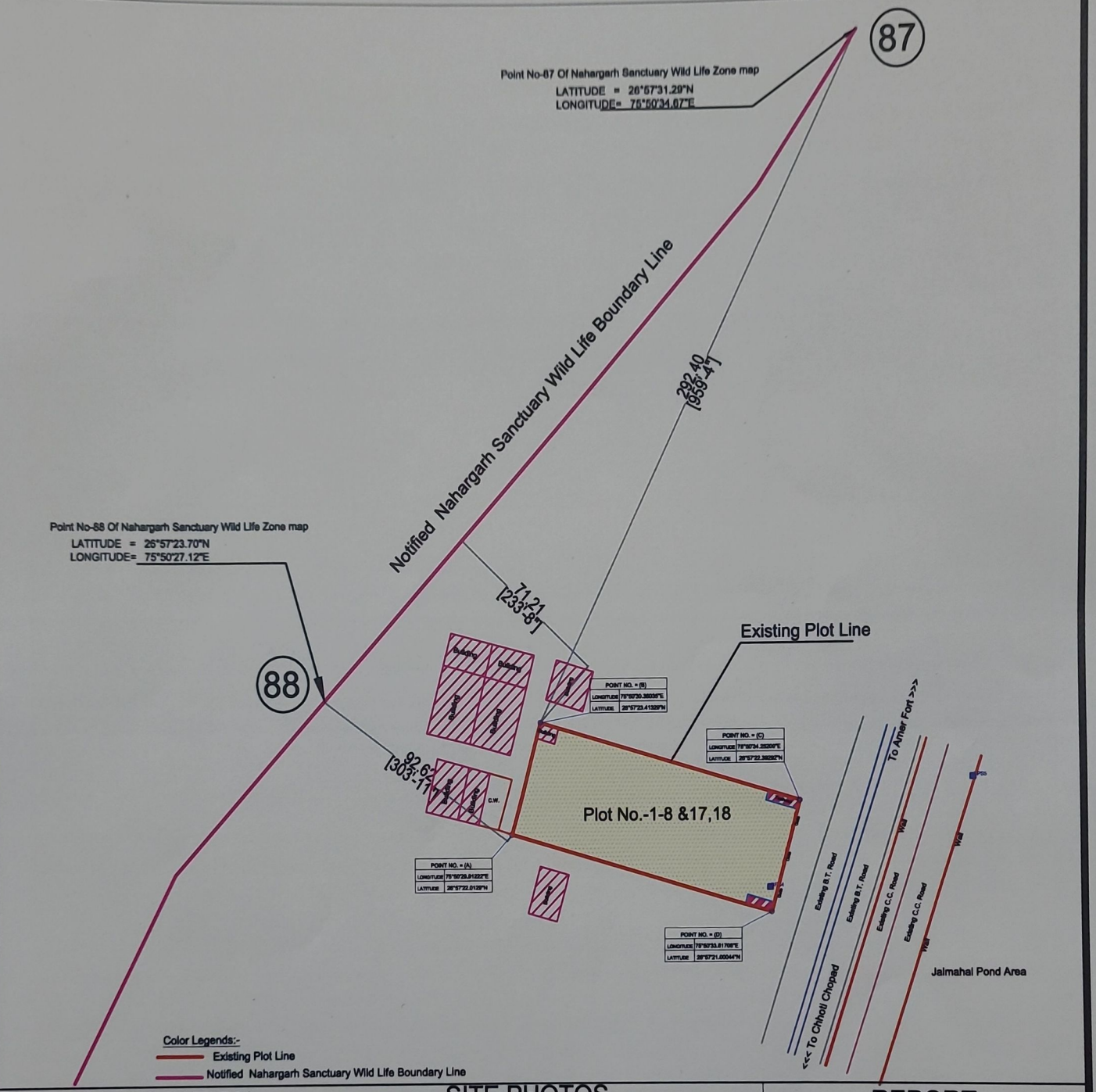

GOOGLE LOCATION

SITE PHOTOS

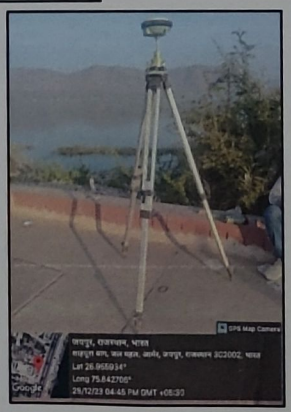

REPORT

SURVEY CONSULTANT:-

Cad max Consultancy (P) Ltd.
302, Prism Tower,Opp. Police Headquarter,
LalKothi scheme,Tonk Road JAIPUR (RAJ.) 302015
PH.: 0141-4113111, Mob.: 91-9602360000
Website: www.cadmax.co.in, e-mail:consultancy@cadmax.co.in

Map Showing for Survey of India Topo Sheet with Nahargarh Sanctuary Boundary,ESZ Boundary,Forest Boundary,& Site for Boutiqe Hotel

Deputy Conservator of Forests Wild Life Jaipur

Nahargarh Sanctuary Eco-Sensitive Zone

SCALE 1:50,000

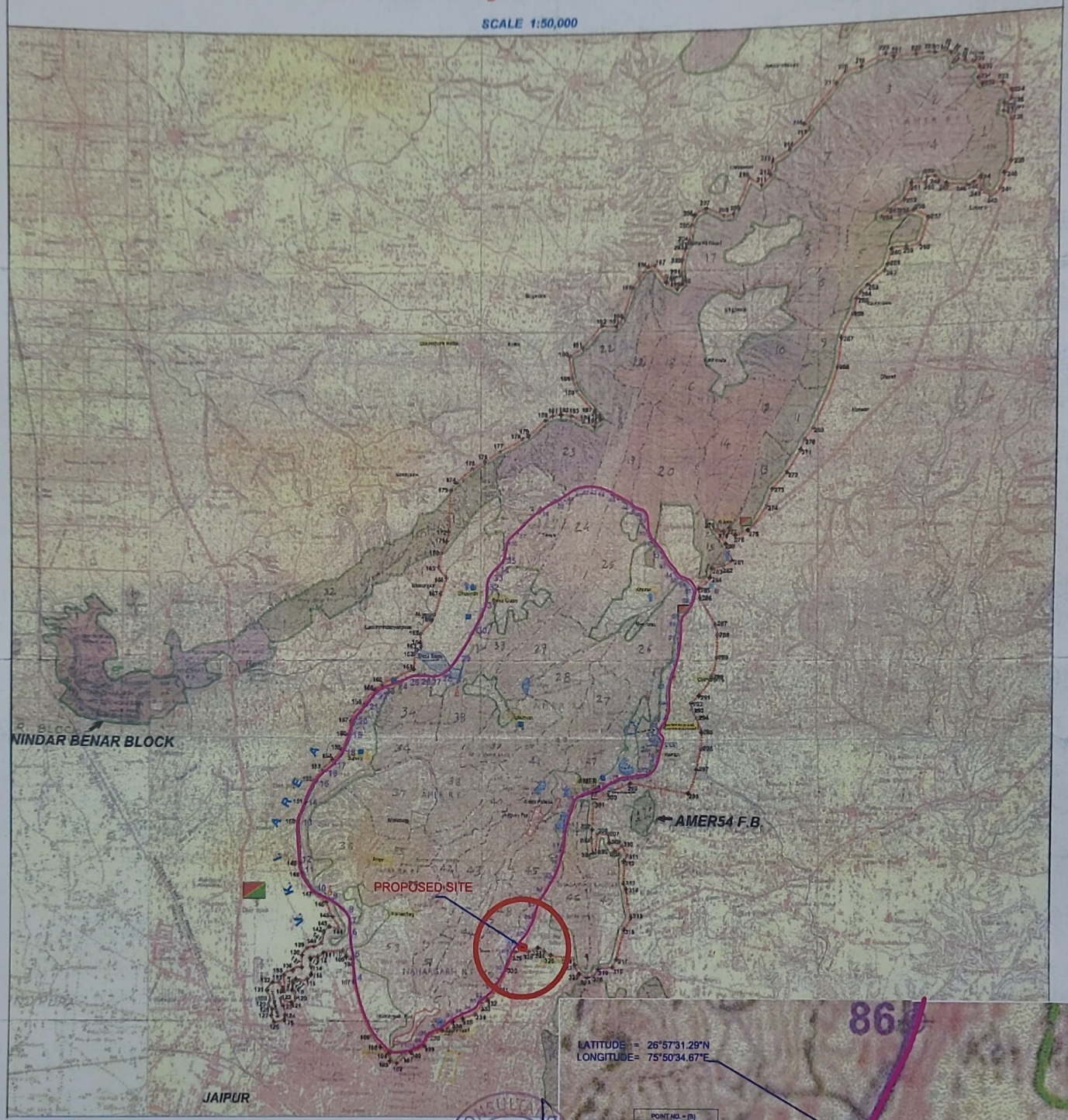

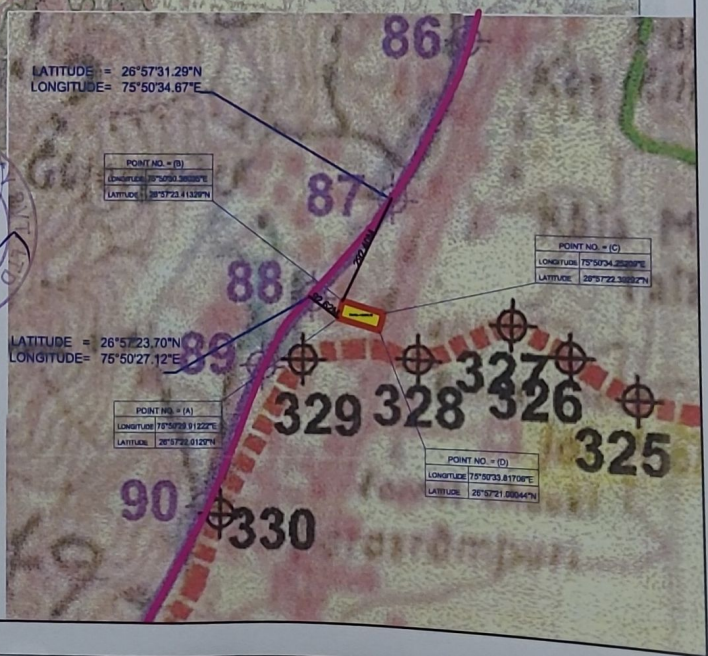

CAD MAX CONSULTANTS
302, Prism Tower, Opp. Rajasthan Police Head Quarter, Jaipur Scheme, Jaipur
Ph.:0141-[illegible]111

LEGENDS:-

- PROPOSED SITE
- (A) NAHARGARH SANCTUARY PILLER NUMBER
- NAHARGARH SANCTUARY NOTIFIED BOUNDARY

Annexure-8

Regional Office Jaipur (North)
Rajasthan State Pollution Control Board
Opposite Road No. 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur.
E-mail: rorpcb.jaipur@gmail.com
Phone no. 0141-2850100

Registered Post/E-mail

F.No.RPCB/ROJP/N/Legal-182/1198 Dated: 21-12-2023

M/s Navratan Lal Agrawal,
R/O S-13-A, Mahaveer Marg,
C-Scheme, Jaipur

Subject: - Show cause notice for intended direction for closure under section 33(A) of Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 and under section 31 (A) Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 for your Hotel activity, located at Plot No.1-8, 17&18 Dheer Vihar, Opposite Jal mahal/**Khasra No. 134,135 Village- Nahargarh, Tehsil-Amer, District- Jaipur.**

Reference: 1. Joint Committee Inspection dated 13/12/2023.

Sir,

1. Whereas, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as the "Water Act") has come into force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23/03/1974 & the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (hereinafter referred to as the "Air Act") has come to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 16/05/1981.
2. And whereas the Water Act & the Air Act have been enacted to provide for the prevention, control and abatement of water and air pollution respectively and to carry out the aforesaid purpose and the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter referred to as the "Board") has been conferred power to take such steps as are deemed necessary for the enforcement of the provisions of the aforesaid Acts.
3. And whereas the said Acts were enacted to provide for the prevention & control of air and water pollution and for maintaining and restoring the wholesomeness of air and water.
4. And whereas keeping this in view the Rajasthan State Pollution Control Board (here in after called as the "Board") has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention control & abatement of air and water pollution.
5. And whereas a hotel unit is being established in the name & style of M/s Navratan Lal Agrawal at Plot No.1-8, 17&18 Dheer Vihar, Opposite Jal mahal/**Khasra No.134,135, Village-Nahargarh, Tehsil-Amer, District- Jaipur.**
6. **And whereas, unit was inspected by Joint Committee on 13/12/2023 and observed: -that**
    - **Unit was under establishment without obtaining prior Consent to Establish from State Board.**

7. **And whereas, you are establishing your hotel without obtaining prior Consent to Establish from the State Board.**
8. And whereas, the above observation clearly reveals that industry has violated the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 & Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.
9. And whereas, above stated violations of the provisions of the Air Act & Water Act have been viewed seriously by the Board.
10. And whereas the State Board may, in exercise of the powers conferred upon it under the provisions of section 33A of the Water Act and 31A of Air Act and in performance of their functions under the said Acts, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions which includes the power to direct: -

    a) **The closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process or**

    b) **Stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service.**

Therefore, a show cause notice is being issued as to why the direction for closure of the unit including disconnection of electric and water supply be not confirmed. In case you wish to submit any objection/clarifications to above notice, please arrange to submit your clarification along with the supporting documents/evidence within 15 days from the date of issue of this notice to this office failing which direction under the Air Act & the Water Act shall be confirmed without any further notice.

Yours sincerely,

(Vijay Sharma)
Regional Officer

Annexure-9

राजस्थान सरकार
राजस्व (गृप-8) विभाग

6378
26.9.80

क्रमांक/एफ 1(39)राज-8/80 जयपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 1980

अधि-सूचना

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या प0(10)4/3/72 एफ0आर0आई0/डब्ल्यू0एल0(एफ0)दिनांक 1 सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनूसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को, उनकी परिस्थिति व प्राणिजातीय, वानस्पतीय, भू-संरचना, सम्बधित-नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्र महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा ।

अनूसूचि

नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं का विवरण:-

(देखिये भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18-2)

सीमा विवरण नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य

उत्तर- वनक्षेत्र बीड तालेडा व ग्राम सुराड की उत्तरी सीमा तक ग्राम कूकस का वन क्षेत्र, पिपलवतीं वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुरा खसरा नम्बरान 1090 व 1091 व ग्राम कूकस खसरा नम्बरान 4, 5, 6 व 7 का उत्तरी भाग ।

पूर्व- वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम कूकस सुराड चिमनपुरा आमेर, आबादी आमेर मावठा, आमेर देहली रोड व राजस्व क्षेत्र ग्राम नाहरगढ ।

दक्षिण- वन सीमा लाईन समीपवर्ती आबादी बुहमपुरी व पुरानी बस्ती ।

पश्चिमी- नाहरगढ का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम किशन बाग बीड पाडा व नला अमानीशाहसे पश्चिम विश्वकर्मा, औद्योगिक क्षे व वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम जैसला आकेंडा,

क0प0उ0---2

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
चिड़ियाघर, जयपुर

शिश्यावास, बडा गांव माडया व समीपवर्ती वन क्षेत्र बडा गांव माडया खसरा नं० 82-85 व 83 का उत्तरी पश्चिमी कोना व सीमा वन क्षेत्र बीड़ लालेटा समीपवर्ती वन क्षेत्र ग्राम दौलतपुरा खसरा नम्बर 1092-93 ।

राज्यपाल के आदेश से

(एम०एम०सिंघवा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2- सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3- समस्त निजी सचिव/मंत्री/उप मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5- समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
6- मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ।
7- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर ।
8- जिलाधीश, जयपुर ।
9- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक अनुभाग 3 को अतिरिक्त 10 प्रतियां सहित ।
10- गार्ड फाईल

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि पुन: प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3- पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।

उप शासन सचिव

एम०पी०बेरवा/21-9-80

प्रतिलिपि सं सह अग्रेषित नहीं की जाती है।

उप वन संरक्षक (वन्यजीव)
चिड़ियाघर, जयपुर